



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]  
No. 161]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2006/चैत्र 30, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2006/CHAITRA 30, 1928

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 233(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 23 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण और अभिलेखों का प्ररूप) नियम, 1999 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 236(अ), तारीख 31 मार्च, 1999 द्वारा प्रकाशित हुए थे, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण और अभिलेखों का प्ररूप) संशोधन नियम, 2006 है।  
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण और अभिलेखाओं का प्ररूप) नियम, 1999 के नियम 5 में "संयुक्त सचिव (वित्त और लेखा)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "सलाहकार/प्रधान सलाहकार (वित्त विश्लेषण) और आंतरिक वित्त सलाहकार" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10-31/2001-आरईएसटीजी]

पी. के. तिवारी, उप सचिव

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY****(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2006

**G.S.R. 233(E).**—In exercise of powers conferred by clause (f) of Sub-section (2) of Section 35 read with Sub-section (1) of Section 23 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government in consultation with Comptroller and Auditor General, hereby makes the following rules further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 1999, which were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. G.S.R. 236(E), dated the 31st March, 1999, namely :—

- i. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Amendment Rules, 2006.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 5 of the Telecom Regulatory Authority of India (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 1999, for the words, brackets and symbols “Joint Secretary (Finance and Accounts)”, the words, letters and brackets “Advisor/Principal Advisor (Financial Analysis) and Internal Finance Advisor” shall be substituted.

[F.No. 10-31/2001-Restg]

P. K. TIWARI, Dy. Secy.